न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या – 54/2016 जिला दौसा

चिरन्जी लाल पुत्र हरसहाय उर्फ रामसहाय, जाति ब्राह्मण, निवासी डाबर खुर्द, तहसील रामगढ पचवारा, जिला दौसा ।

अपीलान्ट

बनाम

1. हजारी लाल पुत्र रामकंवार, जाति ब्राह्मण, निवासी डाबर खुर्द , तहसील रामगढ पचवारा, जिला दौसा (राजस्थान)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट, जिला दौसा (राजस्थान)

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा अति. जिला कलक्टर दौसा दिनांक 2.2.2016

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री सतीश पारीक
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री अशोक कुमार जोशी

निर्णय

दिनांक– 16.1.2018

यह द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अति. जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 2.2.2016 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम डाबर खुर्द, तहसील रामगढ पचवारा, जिला दौसा स्थित आराजी साबिक खसरा नम्बर 14, 26, 31 , नवीन खसरा नम्बर 43/26 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा एवं 45/31 रकबा 21 बीघा 1 बिस्वा, 41/14 रकबा 9 बीघा 17 बिस्वा बाबत छाजू, किशना, ग्यारसा, मिश्रा, मूलचन्द, गंगाराम, हजारी, रेवड, रामसहाय, प्रभूलाल द्वारा एक दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा एवं इस्तकरारहक एवं दुरूस्ती इन्द्राज न्यायालय उप जिलाधीश दौसा के समक्ष प्रस्तुत किया था जिसमें उप जिलाधीश दौसा ने निर्णय दिनांक 15.4.1980 पारित कर वादी संख्या 1 से 8 के पक्ष में दावा बाबत इस्तकरारहक आंशिक रूप से डिक्री किया जाकर घोषणा की गई कि वे चक नं. 14 में से 9 बीघा 17 बिस्वा , चक नं. 26 में से 8 बीघा 16 बिस्वा एवं चक नं. 31 में से 21 बीघा 1 बिस्वा भूमि के खातेदार काश्तकार है एवं शेष भूमि एवं चाह बाबत दावा खारिज किया गया । दावे में उप जिलाधीश दौसा ने निर्णय दिनांक 15.4.1980 पारित कर वादी संख्या 1 से 8 के पक्ष में दावा डिक्री किया गया था । दावे में वादी संख्या 9 एवं 10 रामसहाय व प्रभू लाल थे जिनको खातेदार घोषित नहीं किया गया था, लेकिन दावे के उक्त निर्णय की अनुपालना में तहसीलदार द्वारा नामांतरकरण संख्या 18 दिनांक 4.5.1989 रामसहाय व प्रभू लाल के नाम भी तस्दीक कर दिया । उक्त नामांतरकरण संख्या 18 दिनांक 4.5.89 के खिलाफ हजारी लाल पुत्र रामकुंवार रेस्पोंडेन्ट द्वारा अपील न्यायालय अति. कलक्टर दौसा के समक्ष प्रस्तुत की गई जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 2.2.2016 द्वारा न्यायालय उप जिलाधीश दौसा का निर्णय दिनांक 15.4.80 की पालना में प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 18 दिनांक 4.5.89 तस्दीक नहीं कर कानूनी भूल करने से स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 18 दिनांक 4.5.879 खारिज किया गया एवं प्रकरण पक्षकारान को सुनवाई सबूत का समुचित अवसर दिया जाकर एक माह में निर्णय पारित करने हेतु तहसीलदार लालसोट को प्रतिप्रेषित किया गया । अति. कलक्टर दौसा

चित्रा अतिरिक्त संभागीय जयपुर

के उक्त निर्णय दिनांक 2.2.2016 के खिलाफ हरसहाय उर्फ रामसहाय के पुत्र चिरन्जी लाल द्वारा यह द्वितीय अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 एवं धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश अति. कलक्टर दौसा दिनांक 2.2.2016 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान मुख्य रूप से कथन किया कि प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 18 के विरूद्ध न्यायालय अति. जिला कलक्टर दौसा के समक्ष अपील उनवानी कन्हैया लाल बनाम मूलचन्द के विचाराधीन रहते रेस्पोंडेन्ट हजारी लाल ने इसी नामांतरकरण संख्या 18 के विरूद्ध न्यायालय अति. जिला कलक्टर दौसा के समक्ष तहसीलदार को पक्षकार बनाते हुये जालसाजी व धोखाधडी करके निहायत झूंठे तथ्यों के आधार पर पुनः अपील पेश की गई जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने विधिविरूद्ध व गलत तरीके से अपीलान्ट व अन्य पक्षकारों को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर अपील स्वीकार करते हुये प्रश्नगत नामांतरकरण निरस्त कर प्रकरण रिमाण्ड कर दिया । अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की कतई जानकारी नहीं थी । दिनांक 6.5.2016 को जमाबन्दी की नकल लेने पर अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई और नकल प्राप्त कर अपील पेश की है, जिसमें हुये विलम्ब को क्षमा किया जावे । उनका कहना कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया जबकि वह प्रभावित व्यक्ति था । अपीलान्ट प्रभावित व्यक्ति होने से उसे अपीलाधीन आदेश की अपील करने का विधिक अधिकार है । अतः धारा 96 सी.पी. सी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान की जावे । अन्त में कथन किया कि पूर्व में अपील के विचाराधीन रहते पुनः अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर अपीलाधीन आदेश कराया है, जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार लालसोट ने प्रश्नगत नामांतरकरण उप जिलाधीश के निर्णय/डिक्री दिनांक 15.4.80 की अनुपालना में तस्दीक किया था । प्रश्नगत नामांतरकरण में प्रभू लाल व रामसहाय पि. नारायण का भी नाम अंकित कर दिया जबकि उप जिलाधीश के निर्णय/डिक्री में वादी प्रभू लाल व रामसहाय को खातेदार घोषित ही नहीं किया था । उप जिलाधीश ने वाद में वादी संख्या 1 से 8 को ही खातेदार घोषित किया था जबकि प्रभू लाल व रामसहाय वादी संख्या 9 एवं 10 थे । तहसीलदार ने उप जिलाधीश के निर्णय का अवलोकन किये बिना ही सभी वादीगण के नाम प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक किया है, जो त्रुटिपूर्ण है । उनका कहना था कि प्रभू लाल व रामसहाय दोनों को नाऔलाद फौत हुये करीबन 25 वर्ष हो चुके हैं जिनका कोई कानूनी उत्तराधिकारी भी मौजूद नहीं है । प्रभू लाल व रामसहाय का उप जिलाधीश द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.4.80 से कोई सरोकार नही था परन्तु फिर भी तहसीलदार लालसोट ने नाजायज फायदा पहुॅचाने के लिये इल्लीगल प्रोसीडिग एडोप्ट कर नामांतरकरण तस्दीक किया है, जो निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये तथा तहसीलदार द्वारा उप जिलाधीश दौसा के निर्णय दिनांक 15.4.80 की पालना में

प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 18 दिनांक 4.5.89 तस्दीक नहीं करने में कानूनी भूल किये जाने के कारण रेस्पोंडेन्ट की अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 2.2.16 द्वारा स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 18 दिनांक 4.5.89 निरस्त किया है तथा प्रकरण पक्षकारों का सुनवाई सबूत का समुचित अवसर प्रदान कर एक माह में निर्णय पारित करने हेतु तहसीलदार लालसोट को प्रतिप्रेषित किया है , जो उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में विवाद उप जिलाधीश दौसा द्वारा दावे में पारित निर्णय दिनांक 15.4.80 की पालना में तहसीलदार द्वारा तस्दीक प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 18 दिनांक 4.5.89 के संबंध में है । उप जिलाधीश दौसा ने दावे में निर्णय दिनांक 15.4.80 पारित कर वादीगण संख्या 1 से 8 के पक्ष में दावा इस्तकरार हक आंशिक रूप से डिक्री किया जाकर घोषणा की थी कि वे चक नं. 14 में से 9 बीघा 17 बिस्वा, चक नं. 26 में से 8 बीघा 16 बिस्वा एवं चक नं. 31 में से 21 बीघा 1 बिस्वा भूमि के खातेदार काश्तकार है एवं शेष भूमि एवं चाह बाबत दावा खारिज किया गया । चूंकि दावे उप खण्ड अधिकारी ने दावे के निर्णय में अंकित किया है कि '' वादीगण रामसहाय, प्रभू लाल अथवा उनके पिता नारायण का संवत 2012 की गश्त गिरदावरी में किसी भी खसरा नम्बर अथवा उसके भाग पर कब्जा अंकित नहीं है ऐसी अवस्था में वादीगण रामसहाय व प्रभू लाल खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है'' । वादीगण संख्या 9 एवं 10 रामसहाय व प्रभू लाल खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होने के बावजूद भी दावे के निर्णय की अनुपालना में तहसीलदार लालसोट द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण वादी संख्या 9 एवं 10 रामसहाय व प्रभूलाल के नाम भी तस्दीक कर दिया जिसके खिलाफ रेस्पोंडेन्ट व वादी संख्या 7 हजारी लाल की अपील अति. कलक्टर दौसा द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 2.2.16 से स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 18 दिनांक 4.5.89 निरस्त करते हुये प्रकरण पक्षकारान को सुनवाई सबूत का समुचित अवसर दिया जाकर एक माह में निर्णय पारित करने हेतु तहसीलदार लालसोट को प्रतिप्रेषित किया गया है । तहसीलदार रामगढ पचवारा के निर्णय दिनांक 29.2.2016 द्वारा उक्त नामांतरकरण संख्या 18 ग्राम डाबर खुर्द में प्रभु, रामसहाय पि. नारायण का नाम विलोपित किये जाने का नोट नामांतरकरण संख्या 18 की पुश्त पर अंकित किया गया है ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय
जयपुर

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि दावे में उप खण्ड अधिकारी दौसा द्वारा वादी संख्या 1 से 8 को खातेदार घोषित किया गया था विधिक रूप से उनके नाम ही प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक होना चाहिये था, लेकिन तहसीलदार द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण वादी संख्या 1से 8 की बजाय 1 से 10 यानी वादी संख्या 9 एवं 10 रामसहाय व प्रभूलाल के नाम भी प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक कर दिया , जो विधिक नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश द्वारा निरस्त कर प्रकरण पक्षकारान को सुनवाई सबूत का समुचित अवसर दिया जाकर एक माह में निर्णय पारित करने हेतु तहसीलदार लालसोट को प्रतिप्रेषित किया गया है , जो उचित एवं विधिसम्यक है । अपीलाधीन आदेश की अनुपालना में तहसीलदार रामगढ पचवारा द्वारा आदेश दिनांक 29.2.16 पारित कर प्रभु व रामसहाय का नाम विलोपित करने का नोट नामांतरकरण की पुश्त पर अंकित कर दिया है । अपीलान्ट के यदि विवादित भूमि में कोई हित निहित है तो उन्हें दावे में उप खण्ड अधिकारी द्वारा पारित निर्णय के खिलाफ

सक्षम न्यायालय में अपील कर चाराजोही करनी चाहिये थी । नामांतरकरण की सरसरी कार्यवाही में अपीलान्ट को कोई सहायता प्राप्त नहीं हो सकती । अतः अपीलाधीन आदेश अति. कलक्टर दौसा दिनांक 2.2.2016 उचित एवं विधिसम्यक होने से अपील अपीलान्ट खारिज किय जाने योग्य है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर